दैनिक जागरण

प्रदेश में 71 प्रतिशत फार्म हुए डिजिटाइज्ड

देहरादून : प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य प्रगति पर है। प्रदेश में अब तक 99 प्रतिशत मतदाताओं तक फार्म पहुंचा दिए गए हैं। इनमें से 71.23 प्रतिशत फार्म डिजिटाइज्ड कर दिए गए हैं। फार्म को डिजिटाइज्ड करने का कार्य आठ जुलाई तक चलेगा। (राब्यू)

अमर उजाला

दून में गहन पुनरीक्षण अभियान जारी

देहरादून। उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जनपद में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान (एसआईआर) जारी है। देहरादून के जिला आइकॉन माधुरी बर्थवाल, नीरजा गोयल और उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने मतदाताओं से सहयोग की अपील की है। संवाद

मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
Chief Electoral Officer, Uttarakhand

विश्वकर्मा भवन प्रथम तल, सचिवालय परिसर देहरादून 248001

शाह टाइम्स

एसआईआर की प्रगति की केंद्रीय दल ने की समीक्षा

शाह टाइम्स संवाददाता

पौड़ी। कलक्ट्रेट सभागार में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) -2026 के अंतर्गत संचालित पुनरीक्षण अभियान की प्रगति की समीक्षा हेतु बैठक आयोजित की गई। बैठक में भारत निर्वाचन आयोग से आए केंद्रीय दल ने जनपद में चल रहे कार्यों का विस्तृत मूल्यांकन किया।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी एफ आर चौहान ने केंद्रीय दल को मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान की प्रगति, गणना प्रपत्रों के वितरण एवं संकलन, बीएलओ द्वारा किए जा रहे क्षेत्रीय कार्यों तथा जनजागरुकता गतिविधियों की जानकारी दी। भारत निर्वाचन आयोग के अवर सचिव अभिषेक तिवारी ने कहा कि उत्तराखंड तथा विशेष रूप से पौड़ी जनपद में एसआईआर-2026 का कार्य संतोषजनक ढंग से संचालित किया जा रहा है। उन्होंने निर्देश दिए कि राजनीतिक दलों के साथ नियमित बैठकें आयोजित कर उनके कार्यवृत्त, फोटोग्राफ एवं अन्य अभिलेख सुरक्षित रखे जाएं तथा आयोग को समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराए जाएं।

उन्होंने सभी बीएलओ एवं सुप. रवाइजरों से अभियान की समाप्ति तक पूरी सक्रियता और समर्पण के साथ कार्य करने का भी आह्वान किया।

केंद्रीय दल ने निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप अभियान का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने, निर्धारित समयावधि में सभी कार्य पूर्ण करने तथा प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल करने पर विशेष जोर दिया। इसके अतिरिक्त अभियान की नियमित निगरानी एवं सत्यापन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर संपादित करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले बीएलओ गबर सिंह, संगीता रावत एवं विजय बिष्ट को भारत निर्वाचन आयोग की ओर से प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर निर्वाचन आयोग के अनुभाग अधिकारी गोपाल कृष्ण चहर, सहायक अनुभाग अधिकारी प्रकाश सिंह, संयुक्त मजिस्ट्रेट गौरी प्रभात, उपजिलाधिकारी श्रीनगर नूपुर वर्मा, कोटद्वार संदीप कुमार, यमकेश्वर चतर सिंह चौहान, लैंसडाउन शालिनी मौर्य, सतपुली रेखा आर्य, थलीसैंण कृष्णा त्रिपाठी, सहायक निर्वाचन अधिकारी शांति लाल शाह, जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) रणजीत सिंह नेगी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

नवोदय टाइम्स

SIR के तहत वैध पहचान दस्तावेजों में पासपोर्ट शामिल : निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, 25 जून (एजेंसी): निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने वीरवार को कहा कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान अपनी पात्रता साबित करने के वास्ते मतदाताओं को जिन 12 मान्य सहायक दस्तावेजों की जरूरत होती है, उनमें भारतीय पासपोर्ट अब भी शामिल है। अधिकारियों ने उस विवाद के सिलसिले में पूछे गए सवाल के जवाब में यह टिप्पणी की, जो विदेश मंत्रालय के इस बयान से उपजा था कि पासपोर्ट नागरिकता का सबूत नहीं है। मंत्रालय ने अपने बयान में पासपोर्ट अधिनियम 1967 का हवाला दिया था। बिहार में एसआईआर, असम में विशेष पुनरीक्षण और मतदाता सूची में सुधार के बाद के चरणों के दौरान पासपोर्ट को लगातार

उन 12 दस्तावेजों में से एक के तौर पर शामिल किया गया है, जिन्हें लोग मतदाता सूची में अपना नाम बनाए रखने या पंजीकृत कराने के लिए पेश कर सकते हैं। निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी ने कहा, "पासपोर्ट पहचान साबित करने वाले दस्तावेजों में शामिल था और अब भी है। इस नियम में कोई बदलाव नहीं हुआ है।" मतदाता पंजीकरण अधिकारी यह तय करने के लिए कि कोई व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल होने के लिए पात्र है या नहीं, जरूरी दस्तावेजों में से किसी एक की जांच करता है।